

परिचय पत्र बनवाने के लिए करें आवेदन

झुंझुनू, 17 मई : कोषाधिकारी मंजू कुमारी ने बताया कि सार्वजनिक बैंकों से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनर, जो 30 जून 2013 तक राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने कम्प्यूटराईज्ड मेडिकल डायरी व परिचय पत्र नहीं बनवाएं हैं। ऐसे पेंशनर परिचय पत्र बनवाने के लिए अपना आवेदन कोष/उपकोष कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
